BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 353 OF 2025

(Under Section 18(1) read with section 14 & 15 of National Green Tribunal Act, 2010)

IN THE MATTER OF:

Pradeep Yadav ...Applicant

VERSUS

State of Uttar Pradesh & Ors. ...Respondents

INDEX

Sr. No.	Particulars	Pg No.
1.	**Annexure-A-** Letter dated 19.07.2025 issued by UPPCB revoking the NOC issued.	1-2
2.	**Annexure-B-** Certification of verification dated 29.07.2025	3
3.	**Annexure-C-** Representation dated 06.08.2025 written to District Magistrate, Jhansi	4-8

Through counsel

Atika Singh
ADVOCATE
Delhi High Court
Lawyers Block-I, Chamber No. 407
New Delhi 110003

Date: 08.08.2025

Place: NEW DELHI

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झांसी

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, JHANSI

संदर्भ सं0 / Ref.No. 257/JRI-31/25 दिनांक / Date 19/07/25

ANNEXURE-A

सेवा मे,

श्री अंश यादव पुत्र स्व.श्री सुनील यादव
गोंदू कम्पाउण्ड सिविल लाईन
झांसी।

विषय :– सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–6 (1) के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने आवेदन पत्र दिनांक– 17.07.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करना चाहें, जो इस कार्यालय में दिनांक–17.07.2025 को प्राप्त हुआ है एवं जिस पर सूचना शुल्क के रूप में रू0 10.00 का भारतीय पोस्टल आर्डर संख्या–71एफ 244381 संलग्न किया जाना अंकित है। उक्त के सम्बन्ध में आप द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अर्न्तगत चाही गयी सूचना विन्दुवार निम्नवत् है :–

बिन्दु सं0 1– वांछित सूचना कुल–01 पृष्ठ की है, जिसकी छायाप्रति पत्र के साथ संलग्न है।

उपरोक्तानुसार सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत प्रेषित आपका आवेदन–पत्र दिनांक 17.07.2025 इस कार्यालय स्तर से निस्तारित किया जाता है।

यदि आप उपर्युक्त उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं तो आप सम्बन्धित अधिनियम की धारा 19(1) के अधीन इस पत्र के प्राप्त होने के दिनांक से तीस दिन के भीतर प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर कर सकते हैं,जिनका पद,नाम, पता निम्नवत् हैः–

इमरान अली,
प्रथम अपीलीय प्राधिकारी / क्षेत्रीय अधिकारी
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झांसी।

भवदीय,

(इमरान अली)
क्षेत्रीय अधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झांसी
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, JHANSI

संदर्भ सं0/Ref.No. 234/JIP-1253/25 दिनांक/Date 11.07.25

सेवा में,

मैसर्स लवकुश फ्यूल स्टेशन
(इण्डियन आयल कार्पोरेशन लि0)
खसरा नं0–881, गॉव–भोजला, जनपद–झांसी।

विषय : जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 यथासंशोधित तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित के प्राख्यापित प्रावधानों के अन्तर्गत स्थापनार्थ जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र रिवोक किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भ ग्रहण करे। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि राज्य बोर्ड के पत्रांक 206658/UPPCB/Jhansi(UPPCBRO)/CTE/JHANSI/2024 दिनांक 01.05.2024 द्वारा खसरा नं0–881, गॉव–भोजला, जनपद–झांसी पर मैसर्स लवकुश फ्यूल स्टेशन (इण्डियन आयल कार्पोरेशन लि0) को पेट्रोल/डीजल पम्प रिटेल आउटलेट हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है। शिकायतकर्ता श्री अशं पुत्र स्व.श्री सुनील यादव, निवासी गोंदू कम्पाउण्ड, सिविल लाइन, झासी द्वारा एन0जी0टी0 ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के विपरीत पेट्रोल पम्प स्थापित किये जाने सम्बंध मे शिकायत दिनांक 12.03.2025 को इस कार्यालय मे प्रेषित की गयी। प्राप्त शिकायत के परिपेक्ष्य में कार्यालय कार्मिको द्वारा दिनांक 17.04.2025 को स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण आख्यानुसार आप द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली जारी गाइड लाइन के अनुसार (पेट्रोल/डीजल पम्प रिटेल आउटलेट स्थापनार्थ आवासीय क्षेत्र से न्यूनतम दूरी 50 मीटर विषम परिस्थितियों में 30 मीटर होना आवश्यक है) के विपरीत रिटेल आउटलेट की स्थापना नही की जा रही है। जो कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा जारी गाइड लाइन का उल्लघंन दर्शाता है।

उक्त के क्रम में कार्यालय के पत्रांक 82/सी0–15/25 दिनांक 07.05.2025 के माध्यम से आपको शिकायती पत्र मे वर्णित तथ्यो का निराकरण करते हुये कृत कार्यवाही की आख्या एवं कार्यालय द्वारा निर्गत अनापत्ति पत्र की अनुपालन आख्या साक्ष्य सहित कार्यालय को प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये गये थे।

आप द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 15.05.2025 एवं प्रस्तुत साक्ष्यों के अनुक्रम मे कार्यालय के पत्रांक 94/सी0–15/25 दिनांक 17.05.2025 के द्वारा सचिव झांसी विकास प्राधिकरण झांसी को पत्र इस अनुरोध के साथ प्रेषित किया गया कि उक्त स्थल **Residential areas designates as per the local laws** की श्रेणी में आच्छादित है या नही। जिसके प्रतिउत्तर में नगर नियोजक झांसी विकास प्राधिकरण झांसी के पत्र दिनांक 30.06.2025 में यह अवगत कराया गया कि शासन द्वारा स्वीकृत झांसी महायोजना 2021 में उक्त आराजी के सम्पूर्ण भाग का सहयुक्त नियोजक, सम्भागीय नियोजन खण्ड झांसी के द्वारा प्रदत्त सजरा प्लान के अनुसार भू–उपयोग कार्यालय के अन्तर्गत प्रस्तावित आवासीय (निम्न घनत्व) है।

उपरोक्त के दृष्टिगत आप द्वारा प्रस्तुत पक्ष /प्रतिउत्तर असंतोष जनक पाया गया अतः राज्य बोर्ड के पत्रांक 206658/UPPCB/Jhansi(UPPCBRO)/CTE/JHANSI/2024 दिनांक 01.05.2024 द्वारा खसरा नं0–881, गॉव–भोजला, जनपद–झांसी पर मैसर्स लवकुश फ्यूल स्टेशन (इण्डियन आयल कार्पोरेशन लि0) को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 यथासंशोधित तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित के प्राख्यापित प्रावधानों के अन्तर्गत स्थापना हेतु जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र रिवोक किया जाता है।

भवदीय

(इमरान अली)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि : मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय : उ0प्र0आवास विकास कालोनी (तालपुरा योजना), कानपुर रोड, झांसी–284001, दूरभाष : 0510–2320473, फैक्स : 0510–2320473
मुख्यालयः टी0सी0–12वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010, दूरभाष : 0522–2720828, 2720681, 2720831, फैक्स : 0522–2720764

Scanned with OKEN Scanner

206

ANNEXURE-B

SCHEDULE-VIII

[See rule 16 (3)]

Government of Uttar Pradesh, Office of the Controller, Legal Metrology
Certificate of Verification

Verification Certificate No: **250836073PAV0019** User ID No: **2536TRD0000243_1**

Name of Legal Metrology officer: **DAYA CHANDRA GUPTA**

I hereby certify that I have on **29/07/2025** verified and stamped the under mentioned weights, measures, etc.

Belonging to: **LAVKUSH ENERGY STATION(IOCL)** Locality: **GATA NO. 881,VILLAGE BHOJLA,,JHANSI,Jhansi, U.P.-284002**

S.No.	FUEL DISPENSER								Verification Fee(with additional fee, if any) (Rs.)	Carriage, conveyance charges etc.(Rs.)
	DU Serial Number	Make	Model Approval Certificate	Nozzle Number	Product	Totaliser Reading	K-factor/ Cal Count	CPU Software Version		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
1	202505000633	GILBARCO	IND/09/24/170	1	PETROL	584	1.0080/03	902.06.560	1,500.00	1,000.00
2	202505000633	GILBARCO	IND/09/24/170	2	DIESEL	421	1.0055/03	902.06.560	1,500.00	0.00
3	202504002081	GILBARCO	IND/09/24/170	1	PETROL	463	1.0075/02	902.06.560	1,500.00	1,000.00
4	202504002081	GILBARCO	IND/09/24/170	2	DIESEL	592	1.0047/03	902.06.560	1,500.00	0.00

Total Rs **8000 [Eight Thousand Only]** deposited vide **Treasury Receipt/Money receipt no. 250039402(8000.00) dated 26/07/2025,**

Repaired/Produced by **OEM-Service Engineers / Self**

Next verification due **ON or BEFORE**:

1. Items at S.No. 1,2,3,4 **29/07/2026**

Digitally Signed By
DAYA CHANDRA GUPTA
85691a6be921a56e7f55aa9ece5da960b0dfcd2dfc02554216 25765b2ec70cf3

Place: **Jhansi**

Date: **29/07/2025**

DAYA CHANDRA GUPTA[Senior Inspector]
Legal Metrology officer
[Jhansi],[Jhansi]

ANNEXURE-C

दिनांक - 6/8/2025

सेवा में,

श्रीमान जिलाधिकारी महोदय,

झाँसी।

विषय– जन सूचना के अधिकार की धारा 6(1) जन सूचना अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

जन सूचना से सम्बन्धित प्रश्न के पूर्व आपको अवगत कराना है कि आपके कार्यालय कर्मी प्रभारी शस्त्र लिपिक द्वारा आपको गुमराह कर तथा अनापत्ति प्रमाण–पत्र आवेदक कर्ताओं और अन्य राजस्व कर्मियों के साथ मिली भगत करके दिनांक 27.03.2025 को पत्र संख्या– 1695/20 शस्त्र लिपिक (अनापत्ति प्रमाण–पत्र) 2025–26 जारी करवा लिया गया है। जबकि दिनांक 11.03.2025, 17.03.2025 और 19.03.2025 को श्री अंश, श्री प्रदीप, श्री जितेन्द्र द्वारा आपके द्वारा नेशनल ग्रीन ट्रिव्यूलन के द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के विपरीत इण्डियन ऑलन कॉर्पोरेशन लि0 कानुपर मण्डल कार्यालय कालपी रोड कानुपर को आराजी संख्या– 881 मौजा भोजना तहसील व जिला झाँसी उ0प्र0 पर शिखा यादव को (लवकुश फ्यूल स्टेशन) पर अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं करने के सम्बन्ध में शिकायतें की गयी थी। परन्तु शस्त्र लिपिक द्वारा उक्त शिकायतों की सही प्रकार से न तो जांच करायी गयी और न ही आपके संज्ञान में इस बात को लाया गया।

आपके द्वारा दी गयी एनओसी शशर्त थी और एक ही शर्त या विभागीय आख्या के निरस्त होने की स्थिति में उक्त एन0ओ0सी0 स्वतः ही निरस्त है। दिनांक 11.07.2025 को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड झाँसी के द्वारा आराजी संख्या– 881 मौजा भोजला झाँसी पर इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन (शिखा यादव/लवकुश फ्यूल स्टेशन) को प्रदान की गयी एन0ओ0सी0 पत्र संख्या– 206658/यूपीपीसीएम/झाँसी (यूपीपीसीबीआरओ) /सीटीएफ/झाँसी 2024/ दिनांक 01.05.2025 को पत्र संख्या 234/जे0जे0पी0–1253/ 25 के द्वारा निरस्त कर दिया गया है। (पत्र की कॉपी सलग्न है)

P. T. O

Scanned with OKEN Scanner

उपरोक्त का संज्ञान लेते हुए कृपया जन सूचना के अधिकार के अन्तर्गत निम्न सूचनायें देने का कष्ट करें।

1. पत्र संख्या 1695/20 शस्त्र लिपिक अनापत्ति प्रमाण–पत्र 2025–26 दिनांक 27.03.2025 के निरस्त होने की सूचना एनओ0सी0 आवेदक कर्ता को प्रदान करने का पत्र और दिनांक जिस दिन यह पत्र जारी किया गया। कृपया जानकारी देने का कष्ट करें।
2. वर्तमान में उपरोक्त स्थल पर पैट्रोलपम्प के संचालन की स्थिति बताने का कष्ट करें। पैट्रोल पम्प संचालित हो रहा है या बन्द है।
3. एन0ओ0सी0 निरस्त होने के बाद भी अगर पैट्रोल पम्प संचालित हो रहा है तो उक्त विधि विरूद्ध संचालित पैट्रोल पम्प के विरूद्ध की जाने वाली कार्यवाही से अवगत कराने का कष्ट करें।
4. आपके द्वारा जिला पूर्ति अधिकारी को पत्र संख्या– 1695/20 शस्त्र लिपिक अनापत्ति प्रमाण पत्र 2025–26 निरस्त होने की सूचना किस दिनांक को प्रदान की गयी। अगर सूचना प्रदान नही की गयी तो कारण और नियम बताने का कष्ट करें क्योंकि आपके द्वारा दी गयी एनओसी के आधार पर ही डीएसओ लाईसेंस जारी करता है।
5. जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा शिखा यादव लवकुश फ्यूल स्टेशन इण्डियन ऑयन कॉर्परिशन को लाईसेंस जारी करने की दिनांक बताने का कष्ट करें।
6. जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा आपकी एनओसी के आधार पर शिखा यादव लवकुश फ्यूल स्टेशन को जारी किये गये लाईसेंस की प्रतिलिपि उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
7. उक्त विस्फोटक नियंत्रण आगरा के द्वारा आपके कार्यालय को दिनांक 13.06.2025 को पत्र संख्या सीसी(आ)/3/मिस/शिकायत 2025–26 के द्वारा अधोहस्ताक्षरी और उप विस्फोटक नियंत्रण के कार्यालय को अधोहस्ताक्षरी के दिनांक 04.04.2025 के शिकायती

P.T.O

Scanned with OKEN Scanner

पत्र के सम्बन्ध में आपके द्वारा की जाने वाली कार्यवाही से अवगत कराने का अनुरोध किया गया था। (पत्र की कॉपी संलग्न है)

अधोहस्ताक्षरी को आज दिनांक तक उक्त पत्र के अनुपालन में क्या कार्यवाही की गयी उससे अवगत नही कराया गया है। कृपया क्या कार्यवाही की गयी उसकी सूचना देने का कष्ट करें।

8. शस्त्र लिपिक द्वारा विधि अनुरूप उचित रूप से कर्तव्य पालन नही करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है। अथवा प्रस्तावित है अवगत कराने का कष्ट करें।

सूचना के लिये रू. 10 पोस्टल ऑर्डर – 71F-337597 संलग्न है।

भवदीय

प्रदीप

प्रदीप यादव पुत्र श्री निहाल सिंह यादव
ग्राम व पोस्ट भोजला, झॉसी–284002
मो– 9005486898

Scanned with OKEN Scanner

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झांसी
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, JHANSI

सदर्भ सं0 / Ref.No. 257/ JRI-31/25 दिनांक / Date 19/07/25

सेवा मे,

श्री अंश यादव पुत्र स्व.श्री सुनील यादव
गोंदू कम्पाउण्ड सिविल लाईन
झांसी।

विषय :– सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–6 (1) के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने आवेदन पत्र दिनांक– 17.07.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करना चाहें, जो इस कार्यालय में दिनांक–17.07.2025 को प्राप्त हुआ है एवं जिस पर सूचना शुल्क के रूप में रू0 10.00 का भारतीय पोस्टल आर्डर संख्या–71एफ 244381 संलग्न किया जाना अंकित है। उक्त के सम्बन्ध में आप द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अर्न्तगत चाही गयी सूचना बिन्दुवार निम्नवत् है :–

बिन्दु सं0 1– वांछित सूचना कुल–01 पृष्ठ की है, जिसकी छायाप्रति पत्र के साथ संलग्न है।

उपरोक्तानुसार सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत प्रेषित आपका आवेदन–पत्र दिनांक 17.07.2025 इस कार्यालय स्तर से निरतारित क्रिया जाता है।

यदि आप उपर्युक्त उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं तो आप सम्बन्धित अधिनियम की धारा 19(1) के अधीन इस पत्र के प्राप्त होने के दिनांक से तीस दिन के भीतर प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर कर सकते हैं,जिनका पद,नाम, पता निम्नवत् है:–

इमरान अली,
प्रथम अपीलीय प्राधिकारी / क्षेत्रीय अधिकारी
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झांसी।

भवदीय,

(इमरान अली)
क्षेत्रीय अधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झांसी
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, JHANSI

संदर्भ सं0/Ref.No. 234/JIP-1253/25

दिनांक/Date 11.07.25

सेवा में,

मैसर्स लवकुश फ्यूल स्टेशन
(इण्डियन आयल कार्पोरेशन लि0)
खसरा नं0–881, गॉव–भोजला, जनपद–झांसी।

विषय : जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 यथासंशोधित तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित के प्राख्यापित प्रावधानों के अन्तर्गत स्थापनार्थ जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र रिवोक किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भ ग्रहण करे। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि राज्य बोर्ड के पत्रांक 206658/UPPCB/Jhansi(UPPCBRO)/CTE/JHANSI/2024 दिनांक 01.05.2024 द्वारा खसरा नं0–881, गॉव–भोजला, जनपद–झांसी पर मैसर्स लवकुश फ्यूल स्टेशन (इण्डियन आयल कार्पोरेशन लि0) को पेट्रोल/डीजल पम्प रिटेल आउटलेट हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है। शिकायतकर्ता श्री अशं पुत्र स्व.श्री सुनील यादव, निवासी गोंदू कम्पाउण्ड, सिविल लाइन, झासी द्वारा एन0जी0टी0 ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के विपरीत पेट्रोल पम्प स्थापित किये जाने सम्बंध मे शिकायत दिनांक 12.03.2025 को इस कार्यालय मे प्रेषित की गयी। प्राप्त शिकायत के परिपेक्ष्य में कार्यालय कार्मिको द्वारा दिनांक 17.04.2025 को स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण आख्यानुसार आप द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली जारी गाइड लाइन के अनुसार (पेट्रोल/डीजल पम्प रिटेल आउटलेट स्थापनार्थ आवासीय क्षेत्र से न्यूनतम दूरी 50 मीटर विषम परिस्थितियों में 30 मीटर होना आवश्यक है) के विपरीत रिटेल आउटलेट की स्थापना नही की जा रही है। जो कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा जारी गाइड लाइन का उल्लघंन दर्शाता है।

उक्त के कम में कार्यालय के पत्रांक 82/सी0–15/25 दिनांक 07.05.2025 के माध्यम से आपको शिकायती पत्र मे वर्णित तथ्यो का निराकरण करते हुये कृत कार्यवाही की आख्या एवं कार्यालय द्वारा निर्गत अनापत्ति पत्र की अनुपालन आख्या साक्ष्य सहित कार्यालय को प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये गये थे।

आप द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 15.05.2025 एवं प्रस्तुत साक्ष्यों के अनुकम मे कार्यालय के पत्रांक 94/सी0–15/25 दिनांक 17.05.2025 के द्वारा सचिव झांसी विकास प्राधिकरण झांसी को पत्र इस अनुरोध के साथ प्रेषित किया गया कि उक्त स्थल **Residential areas designates as per the local laws** की श्रेणी में आच्छादित है या नही। जिसके प्रतिउत्तर में नगर नियोजक झांसी विकास प्राधिकरण झांसी के पत्र दिनांक 30.06.2025 में यह अवगत कराया गया कि शासन द्वारा स्वीकृत झांसी महायोजना 2021 में उक्त आराजी के सम्पूर्ण भाग का सहयुक्त नियोजक, सम्भागीय नियोजन खण्ड झांसी के द्वारा प्रदत्त सजरा प्लान के अनुसार भू–उपयोग कार्यालय के अन्तर्गत प्रस्तावित आवासीय (निम्न धनत्व) है।

उपरोक्त के दृष्टिगत आप द्वारा प्रस्तुत पक्ष /प्रतिउत्तर असंतोष जनक पाया गया अतः राज्य बोर्ड के पत्रांक 206658/UPPCB/Jhansi(UPPCBRO)/CTE/JHANSI/2024 दिनांक 01.05.2024 द्वारा खसरा नं0–881, गॉव–भोजला, जनपद–झांसी पर मैसर्स लवकुश फ्यूल स्टेशन (इण्डियन आयल कार्पोरेशन लि0) को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 यथासंशोधित तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित के प्राख्यापित प्रावधानों के अन्तर्गत स्थापना हेतु जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र रिवोक किया जाता है।

भवदीय

(इमरान अली)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि : मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय : उ0प्र0आवास विकास कालोनी (तालपुरा योजना), कानपुर रोड, झांसी–284001, दूरभाष : 0510–2320473, फैक्स : 0510–2320473
मुख्यालय: टी0सी0–12वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010, दूरभाष : 0522–2720828, 2720681, 2720831, फैक्स : 0522–2720764

Scanned with OKEN Scanner